न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 374/2012 बी0टी0 नं. 32/2014
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2014/793
दायर दिनांक :– 05.10.2012
निर्णय दिनांक :– 12.05.2022

उनवान प्रकरण

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री मुरलीधर आयु 72 वर्ष
2. नाथूराम पुत्र रिछपाल आयु 62 साल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना हाल श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. सुखाराम पुत्र मांगूराम उम्र 80 साल (मृत्तक के बजाय)

1/1 जगदीश पुत्र सुखाराम

1/2 रूघनाथ पुत्र सुखाराम

1/3 मातादीन पुत्र सुखाराम

1/4 हनुमान सहाय पुत्र सुखाराम

1/5 सीताराम पुत्र सुखाराम

1/6 सुरजी पुत्री सुखाराम

2. अमरचन्द पुत्र दुल्लाराम उम्र 55 साल
3. रामजीवन पुत्र दुल्लाराम उम्र 53 साल
4. रामसिंह पुत्र दुल्लाराम उम्र 50 साल
5. श्रीमती सोहनी देवी पत्नि स्व0 जयराम उम्र 35 साल
6. प्रहलाद पुत्र स्व0 जयराम उम्र 17 साल
7. नरेन्द्र पुत्र स्व0 जयराम उम्र 15 साल
8. सुनिता पुत्री स्व0 जयराम उम्र 12 साल
9. पूजा पुत्री स्व0 जयराम उम्र 8 साल

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आवेदकगण संख्या 6 ता 9 नाबालिगान जरिये संरक्षक माता श्रीमती सोहनी पत्नी स्व0 जयराम उम्र– 35 साल **(अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 वर्तमान में बालिग हो चुके है)**

10. केशरी पत्नी कानाराम उम्र 55 साल

11. शिम्भूदयाल पुत्र कानाराम उम्र 35 साल

12. हरसहाय पुत्र कानाराम उम्र 32 साल

13. रामकरण पुत्र कानाराम उम्र 30 साल

14. बाबूलाल पुत्र कानाराम उम्र 28 साल

15. औमप्रकाश पुत्र कानाराम उम्र 26 साल

16. प्रभात पुत्र जवाहरमल उम्र 35 साल (मृत्तक के बजाय)

16/1 गोकुलचन्द पुत्र प्रभातराम

16/2 पूरणमल पुत्र प्रभातराम

16/3 फूलसिंह पुत्र प्रभातराम

16/4 बद्रीप्रसाद पुत्र प्रभातराम

16/5 संतोष देवी पुत्री प्रभातराम

16/6 झूमा देवी पत्नी प्रभातराम

17. ग्यारसीलाल पुत्र जवाहरमल उम्र 58 साल

18. मानाराम पुत्र भूराराम उम्र 82 साल

18/1 बाबूलाल पुत्र मानाराम

18/2 जयराम पुत्र मानाराम

18/3/1 प्रभाती बेवा बंशीधर

18/3/2 औमप्रकाश उर्फ उम्मेदसिंह पुत्र बंशीधर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

19. सुरजाराम पुत्र भूराराम उम्र 75 साल

20. छोटी बेवा गणपतराम उम्र 50 साल

21. हीरालाल पुत्र गणपत राम उम्र 42 साल

22. जोराराम उर्फ जोरावरसिंह पुत्र गणपत राम उम्र 40 साल

23. महिपाल पुत्र जवाहर मल उम्र 55 सा

24. श्रीमती श्योकोरी पत्नी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

25. रामसिंह पुत्र स्व0 लच्छूराम उम्र 35 साल

26. मोहन पुत्र स्व0 लच्छूराम उम्र 35 साल

17/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

27. बाबूलाल पुत्र स्व0 लच्छूराम उम्र 35 साल

28. सजना पुत्री स्व0 लच्छूराम उम्र 42 साल

29. नन्ची पुत्री स्व0 लच्छूराम उम्र 38 साल

30. गीता पुत्री स्व0 लच्छूराम उम्र 30 साल

31. देबू पुत्र जवाहरमल उम्र 55 साल

32. हनुमान पुत्र श्योनाथ उम्र 78 साल

33. नानूसिंह पुत्र श्योनाथ उम्र 65 साल

34. सरती पुत्री नाथू लाल उम्र 60 साल

35. परती पुत्री नाथू लाल उम्र 58 साल

36. मनफूली पुत्री नाथू लाल उम्र 56 साल

37. ग्यारसी पुत्री नाथू लाल उम्र 54 साल

38. लड्डू पुत्री नाथू राम उम्र 51 साल

39. सज्जन पुत्र सुगाराम उम्र 48 साल

40. सायर पुत्र सुगाराम उम्र 55 साल

41. बंशीधर पुत्र सुगाराम उम्र 60 साल

42. तीजा पत्नी सुगाराम उम्र 80 साल

43. श्रवण कुमार पुत्र सुगाराम उम्र 58 साल

44. भागीरथ पुत्र सुगाराम उम्र 40 साल

45. पप्पूराम उर्फ बनवारी लाल पुत्र सुगाराम उम्र 36 साल

46. श्रीमती प्रभातीदेवी पत्नी सरदारा पुत्र गोपीराम उम्र 75 साल (मृत्तक के बजाय)

46/1 रूड़ी देवी पुत्री प्रभाती देवी पत्नी सरदारा

46/2 फूली देवी पुत्री प्रभाती देवी पत्नी सरदारा

47. रामलाल पुत्र सरदारा उम्र 55 साल

48. डूंगाराम पुत्र सरदारा उम्र 52 साल

49. नेकीराम पुत्र सरदारा उम्र 47 साल

50. यह क्रम संख्या अंकित नहीं है।

51. हरफूल पुत्र सरदारा उम्र 40 साल

52. राजू पुत्र सरदारा उम्र 38 साल

53. भैरूं पुत्र गोपीराम उम्र 78 साल (मृत्तक के बजाय)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

53/1 कुशाल पुत्र भैरूं

53/2 तेजपाल पुत्र भैरू

53/3 प्रहलाद पुत्र भैरू

53/4 जयनारायण पुत्र भैरू

53/5 शिवराम पुत्र भैरू

53/6 सॉवर पुत्र भैरू

53/7 सतवीर पुत्र भैरू

53/8 कोमल पुत्री भैरू

53/9 मूली देवी पत्नी भैरू

54. मूलाराम पुत्र बोदीलाल उर्फ बोदू राम उम्र 60 साल

55. शिम्भूदयाल पुत्र बोदीलाल उर्फ बोदू राम उम्र 35 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—अप्रार्थीगण

—:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते कृषि भूमि में से रास्ता कायम करवाये जाने बाबत** ::—

उपस्थितिः—

1. **श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, अभिभाषक —प्रार्थीगण की ओर से ।**
2. **श्री हीरासिंह धायल, अभिभाषक** — अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 की ओर से।
3. **श्री दीपक बाजिया, अभिभाषक**— अप्रार्थीगण संख्या 12, 17, 23, 25, 33 की ओर से।
4. **श्री हनुमान सामोता, अभिभाषक**— अप्रार्थीगण संख्या ने 18/1, 39, 45, 48, 49, 55 व अप्रार्थीगण संख्या 53 के वारिसान् की ओर से।
5. **श्री सॉवर महला, अभिभाषक** अप्रार्थी संख्या 1/2 से 1/5 की ओर से।

—:: **निर्णय** ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 0.38 हैक्टर एंव अन्य भूमियां खसरा नम्बर 822 व 841 तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित है। जिसके पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर 827 एंव उसके पश्चिम में खसरा नम्बर 796 तथा उत्तर में भूमि खसरा नम्बर 828 स्थित

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है। खसरा नम्बर 795 ढ़ाणी के रूप में है। जिसके पश्चिम में खसरा नम्बर 792 स्थित है एंव इसके पश्चिम में मुख्य सड़क स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 0.38 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 822 रकबा 0.24 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 841 रकबा 1.00 हैक्टर की खातेदारी आवेदकगण के नाम से राजस्व अभिलेख में हिस्से अनुसार अंकित है। भूमि खसरा नम्बर 796 रकबा 1.37 हैक्टर व खसरा नम्बर 792 रकबा 1.26 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व पति पिता अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 9 जयराम के नाम व भूमि खसरा नम्बर 828 की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 23 एंव 31 ता 33 के नाम व अप्रार्थी संख्या 24 ता 30 के पति पिता लच्छू के नाम एंव खसरा नम्बर 827 की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 34 से 45 एंव 53 ता 55 के नाम से एंव अप्रार्थीगण संख्या 46 ता 52 के पति/पिता सरदारा के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आवेदक की भूमि चारों ओर से अप्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमियों से घिरी हुई है। आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है। ग्राम किशोरपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 791, 792, 793 के पश्चिम में मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण स्थित है। खसरा नम्बर 792 के मध्य में पूर्व से पश्चिम रास्ता ढ़ाणी खसरा नम्बर 795 व 796 तक पुराना चालू है। जिसके पश्चात् अनावेदकगण संख्या 1 ता 4 व पति पिता अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 9 जयराम के नाम है। प्रार्थना पत्र में दर्ज नक्शे के अनुसार मार्क ए स्थान से मार्क बी स्थान तक पूर्व से पश्चिम लम्बाई 61 मीटर है। जिसके पश्चात् मार्क बी स्थान के पूर्वी ओर अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 23 एंव 31 ता 33 के नाम व अप्रार्थीगण संख्या 24 ता 30 के पति पिता लच्छू की खातदेारी की भूमि खसरा नम्बर 828 स्थित है। जिसके पश्चिमी सींव के सहारे से दक्षिण में मार्क सी स्थान तक उत्तर से दक्षिण लम्बाई 34 मीटर है। जिसके पश्चात् मार्क सी स्थान के पूर्व में अप्रार्थी संख्या 34 से 45 एंव 53 ता 55 के नाम से अप्रार्थीगण संख्या 46 ता 52 के पति/पिता सरदारा के नाम से खसरा नम्बर 827 स्थित है। जो अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 823 की पश्चिमी सींव तक 55 मीटर है एंव खसरा नम्बर 823 के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 822 एंव 841 स्थित है। जिनमें जाने के लिए प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि के उत्तरी ओर रास्ता 4 मीटर चौड़ा छोड़ रखा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 796, 828, 827 में उक्तानुसार लम्बाई में 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमियों तक सुगमता से आ जा सकेगें। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) की शर्तो व नियमों की पालना करने को तैयार है एंव डी0 एल0 सी रेट की दुगनी राशि जमा करवाने या भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। इस कारण रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:40:47 IST
Reason: SelfAttested

17/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में अति आवश्यक होने से न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 796, 828, 827 तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में से 4 मीटर चौड़ा नक्शे के अनुसार रास्ते के लिए 600 मीटर अर्थात 0.06 हैक्टर भूमि दिलवाई जाकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5, 12 से 15, 18, 21, 23 से 26, 32, 33, 40, 43, 46 से 48 की ओर से श्री सत्यनारायण यादव एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/6, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 52, 53 व 54 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में दिनांक 24.12.2014 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पेश हुई। जिस पर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर नवीन मुकदमा नम्बर 32/2014 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिस पर प्रार्थीगण की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 की ओर से श्री हीरासिंह धायल एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 28 से 30 का हकत्याग हो जाने से प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी संख्या 28 ता 30 का नाम हजफ किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/2 से 1/5 की ओर से श्री सॉवर महला एडवोकेट ने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 12, 17, 23, 25, 33 की ओर से श्री हनुमान सामोता एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र 251 (ए) का पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या ने 18/1, 39, 45, 48, 49, 55 व अप्रार्थीगण संख्या 53 के वारिसान् की ओर से श्री हनुमान राम सामोता एडवोकेट उपस्थित आयें एंव अप्रार्थी संख्या 48 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अन्य अप्रार्थीगणों के द्वारा बावजूद अवसरों के भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने पर जवाब देही का अवसर बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 17/राजस्व/2017 दिनांक 02.01.2018 के द्वारा भू. अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर से जॉच करवाई जाकर जॉच रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसके उपरान्त भू.अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर से जवाब की प्रति सहित पुनः जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1114/राजस्व/2019 दिनांक 28.06.2019 से पुनः जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने दिनांक 02.01.2018 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से अवगत कराया है कि ग्राम किशोरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 792 रकबा 1.26 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सुखाराम पुत्र मांगूराम वगै0 के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर स्थित ग्रेवल रोड़ के पूर्व में स्थित है। इस खसरा नम्बर में पूर्व में आने जाने का रास्ता मौके पर चालू था लेकिन वर्तमान में मौके पर पगडंडी के रूप में रास्ता चालू है जो कुंए तक जा रहा है। इस मौके पर स्थित खसरा नम्बर 792 की पूर्वी सीमा पर एक टीन शेड का मकान बना हुआ है। मौके पर रास्ते की चौडाई 9 फुट 6 ईंच के आसपास है। उक्त खसरा नम्बर 796 रकबा 1.37 हैक्टर की खातेदारी भी सुखाराम पुत्र मांगूराम वगैरह के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 796 की पूर्वी सीमा पर मौके पर रास्ता बना हुआ है लेकिन वर्तमान में मौके पर तारबन्दी कर रखी है। मौके पर इस रास्ते को खोला जा सकता हैं। खसरा नम्बर 828 रकबा 0.74 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिर्कोड में प्रभात पुंत्र जवाहरमल वगैरह के नाम दर्ज है। इस खसरा नम्बर की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर **मौके पर रास्ता चालू है।** ख.न. 827 रकबा 0.26 हैक्टेयर की खातेदारी सावंरमल पुत्र भैरूराम जाति जाट वगैरह के नाम दर्ज है। **खसरा नम्बर 827 की उतरी सीमा पर मौके पर रास्ता चालू है।** जो खसरा नं 823 तक जा रहा है। खसरा न. 827 की पूर्वी सीमा के आगे वादीगण की स्वंय की भूमिया स्थित है। मौके पर वादीगण की खातेदारी के खेत मे जाने के लिये यदि रास्ता दिया जाता है तो **खसरा नम्बर 792 में 350 वर्गमीटर, 796 में 250 वर्गमीटर, ख.न. 828 में 136 वर्गमीटर व ख.न. 827 में 220 वर्गमीटर कुल 956 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में जा रही हैं।** ग्राम किशोरपुरा की चाही भूमि की डी.एल.सी. दर 9,59,500/– रू प्रति हैक्टेयर है। इस रास्ते में ख.न. 795 जो राजकीय भूमि गै0मु0 चाह दर्ज है उसमें से कुछ भूमि जा रही है। प्रार्थीगण की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमियों में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है। मौके पर चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शें में लाल स्याही से किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रकरण को बहस में लिया जाकर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित कथनों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि प्रार्थीगण की भूमियों में आवागमन व कृषि जोत हेतु आने जाने बाबत मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण को नजदीकी निकटतम व लघुत्तम रास्ता तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दिये जाने का निवेदन किया। जिसके लिए प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमियों का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों के दुगुनी दरों से देय होने वाले प्रतिकर राशि का भुगतान करने को भी तैयार होने बाबत अवगत कराया है। वही वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/2 से 1/5 ने दौराने बहस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को भू. अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2017 मय नजरी नक्शा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 792, 796, 827, 828 तन् ग्राम किशोरपुरा में प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होना अपनी बहस में अवगत कराया है। वही वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 ने दौराने बहस अवगत कराया कि खसरा नम्बर 805 से रास्ता लेकर 804 स्वयं की भूमि लगती है फिर खसरा नम्बर 815, 816 जो खसरा नम्बर 804 के सटाकर लगता है जिसमें रास्ता लेकर भूमि दे सकते है। खसरा नम्बर 816 से लेकर 818 स्वंय की भूमि से सटाकर है जिससे आगे खसरा नम्बर 818 से 820, 822 से 825 स्वंय के खाते की भूमि होने से आवेदकगण को रास्ते की आवश्यकता नहीं होने बाबत अवगत कराया है। आवेदकगण ने उत्तरदाता की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 792 में से कोई रास्ता का अनुतोष नहीं चाहा गया है। केवल मात्र खसरा नम्बर 796, 827 व 828 मे से होकर ही रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 792 में से होकर मौके पर ही कोई रास्ता आने जाने हेतु नही है ना ही कभी रहा है ना ही राजस्व नक्शा ट्रेस में कायम किया हुआ है बल्कि वास्तविकता यह है कि आवेदकगण व उत्तरदातागण के मकानात – कमरे मे बने हुये है जो पुश्तैनी बने हुये है। आवेदकगण का आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 804, 805, 815, 816 में से होकर खसरा नम्बर 818 में प्रवेश करता है जो पूर्व से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

चालू है। उक्त रास्ता एकदम लघुत्तम व सरलतम है। उक्त रास्ता को आवेदकगण राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कटवा सकते है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काननून चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वही वकील अप्रार्थीगण संख्या 12, 17, 23, 25 व 33 ने दौराने बहस अपने द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र की अनुतोष में अनावेदकगण – उत्तरदातागण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा न. 792 में से कोई रास्ता का अनुतोष नही चाहा गया है। केवल मात्र खसरा न. 796, 828, 827 में से होकर ही रास्ता चाहा गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र आवेदकगण के विरूद्व काननून चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है। अनावेदकगण–उतरदातागण की खातेदारी भूमि खसरा न. 792 व खसरा 796, 828, 827 में से होकर मौके पर कोई रास्ता आने जाने हेतु नही है, ना ही कभी रहा है, ना ही राजस्व नक्शा ट्रैस में कायम किया हुआ है बल्कि वास्तविकता यह है कि अनावेदकगण –उतरदातागण 2 ता 9 के पुख्ता मकानात–कमरे बने हुये है। जो पुश्तैनी बने हुये है तथा यहां भी महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि उक्त मुकदमा सं. 32/2014 उनवानी प्रभूदयाल बनाम सुखाराम वगैरह में तथ्यात्मक जांच रिर्पोट भू–अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। जिसमे ख. न. 792, 796, 827, 828 में मोंके पर कोई तथाकथित रास्ता आवेदकगण के बताये अनुसार नही बताया गया है। आवेदकगण का आवागममन का रास्ता खं.न. 805, 804, 815, 816 में से होकर ख.न. 818 में प्रवेश करता है जो पूर्व से चालू है। उक्त रास्ता एकदम लद्युतम व सरलतम होने से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है। वही वकील अप्रार्थी संख्या 48 ने दौराने बहस अपने द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र की अनुतोष मद में अनावेकगण/उतरदातागण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा न. 792 में से कोई रास्ता का अनुतोष नही चाहा गया है। केवल मात्र खसरा न. 796, 828, 827 मे से होकर ही रास्ता चाहा गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र आवेदकगण के विरूद्व कानुन चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है। अनावेदकगण/उतरदातागण की खातेदारी भूमि खसरा न. 792, 796, 828, 827 में से होकर मौके पर कोई रास्ता आने जाने हेतु नही है ना ही कभी रहा है, ना ही राजस्व नक्शा ट्रेस में कायम किया हुआ है। जबाव प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत [illegible] नक्शा अनुसार आवेदकगण का आवागमन का रास्ता खसरा न. 804, 805, 815, 816 में से होकर खसरा न. 818 में प्रवेश करता है जो पूर्व से चालू होकर एकदम लघुतम व सरलतम है। इसलिए आवेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने किया है।

वकुलाय अप्रार्थीगणों पक्षकारान् ने अपने जवाब प्रार्थना पत्रों में प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में आवेदकगण का आवागमन का रास्ता खसरा न. 804, 805, 815, 816 में से होकर खसरा न. 818 में प्रवेश करता है जो पूर्व से चालू होकर एकदम लघुतम व सरलतम होने बाबत अवगत कराया गया है। जिसके कारण प्रकरण में पुनः भू अभिलेख निरीक्षक वृत्तः– रायपुर जागीर से मौका स्थिति व रास्ते के लघुत्तम व निकटतम बाबत पुनः रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भू अभिलेख निरीक्षक वृत्तः– रायपुर जागीर से पुनः जॉच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर जरिये पत्रांक [redacted] /राजस्व/2019 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम किशोरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 802 रकबा 1.05 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में पदमाराम पुत्र नानगाराम वगै0 के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर स्थित सड़क के पूर्व में स्थित है। इस खसरा नम्बर से पूर्व में आने जाने का रास्ता है जो कुंए से आगे तक जा रहा है। खसरा नम्बर 800 में स्थित गै.मु. चाह खसरा नम्बर 803 रकबा 0.02 हैक्टर है जिसकी खातेदारी सुवालाल पुत्र मीनाराम के उत्तरी सीमा पर होकर रास्ता है जिसमे 176 वर्गमीटर भूमि है। जिसमें होकर रास्ता है जो मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 804 रकबा 0.55 हैक्टर की खातेदारी धापा पत्नि गोपीराम वगै0 के नाम है जिसकी उत्तरी सीमा पर रास्ता है। रास्ते का रकबा 192 वर्गमीटर होकर मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 815 रकबा 0.65 हैक्टर की खातेदारी झाबरमल पुत्र नारायण जाति जाट के नाम से दर्ज है। जिसकी पश्चिमी व उत्तरी सीमा पर रास्ता है जो मौके पर चालू होकर रास्ते का रकबा 528 वर्गमीटर में है। वादीगण की ढ़ाणी व खेत में जाने का रास्ता दिया जाता है तो **खसरा नम्बर 802 में 368 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 800 में से 176 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 804 में से 192 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 815 में से 528 वर्गमीटर कुल 1264 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जा रही है।** ग्राम किशोरपुरा की चाही भूमि की डी.एल.सी. दर 13,07,880/– रू. प्रति हैक्टेयर है। प्रार्थीगण की ढ़ाणी व खातेदारी भूमियों में आने जाने के लिए [redacted] रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 792 व 796 में से होकर कोई रास्ता नहीं है। मौके पर चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शें में लाल स्याही से किया गया है। खसरा नम्बर 817 में रास्ता जाने के बाद में दर्शित खसरा नम्बर वादी की स्वंय की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय पर सगौर मनन किया। प्रकरण में पक्षकारान् को भी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत किशोरपुरा पर आयोजित शिविर के मजमे–ए–आम में भी सुना गया। शिविर के दोरान उपस्थित मौत बिरान से भी प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में आम जनता से विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। इसके उपरान्त दोनों पक्षों के पक्षकारान् को भी उनके अधिवक्तागणों के माध्यम से न्यायालय में तलब किया जाकर कम से कम पॉच बार उनका बारी–बारी से पक्ष सुना गया तथा उनसे रास्ते बाबत सहमति दिये जाने के क्रम में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझाईस की गई। परन्तु अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रचलित डी0एल0सी0 [illegible]ों की दुगुनी कीमत पर कीमतन या जमीन के बदले जमीन देने की किसी भी सूरत में रास्ता नहीं देने बाबत अवगत कराया गया। जिस पर उपस्थित अप्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया। फिर भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत किसी प्रकार की सहमति व्यक्त नहीं की गई। जिस पर उपस्थित पक्षकारान् को राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्व कानूनों में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रकरण में निर्णय किये जाने बाबत अवगत कराया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात् व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मार्फत भू.अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट्स के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

हमने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर से बाद जॉच भिजवाई गई दोनों रिपोर्ट्स का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से [illegible] है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 17/राजस्व/2017 दिनांक [illegible]2018 [illegible] अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु चाहा गया [illegible] 792 में 350 वर्गमीटर, 796 में 250 वर्गमीटर, ख.न. 828 में 136 वर्गमीटर व ख.न. 827 [illegible] 220 वर्गमीटर कुल 956 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में जा रही हैं। ग्राम किशोरपुरा की चाही भूमि की डी.एल.सी. दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9,59,500/— रू. प्रति हैक्टेयर है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों में आने जाने के लिये मौके पर आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही होना व मौके पर चाहा गया रास्ता उक्त भूमियों में से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 02.01.2018 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 792, 796, 828, 827 में आवेदित रास्ता मौके पर रास्ता नहीं हो इस बाबत कोई रिपोर्ट नहीं आई है बल्कि उक्त रिपोर्ट में उक्त भूमियों से मौके पर रास्ता होने की स्पष्ट रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर द्वारा अंकित करते हुए रास्ते को संलग्न नक्शें में लाल स्याही से दर्शित किया जाना प्रकट होता है। वही अप्रार्थी मृत्तक सुखाराम पुत्र मांगूराम के वारिसान् अप्रार्थीगण संख्या 1/2 से 1/5 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित आवेदित रास्ते जो खसरा नम्बर 792 व 796 में रास्ता दिये जाने को स्वीकार करते हुए उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किया पत्रावली पर उपलब्ध इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्टतः प्रकट होता है तथा भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त रायपुर जागीर ने भी प्रार्थीगण की भूमियों में जाने हेतु आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं होना अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है। वही तहसीलदार श्रीमाधोपुर की दूसरी रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1114/राजस्व/2019 दिनांक 28.06.2019 के अनुसार ग्राम किशोरपुरा के भूमि खसरा नम्बर 802 में 368 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 800 में से 176 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 804 में से 192 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 815 में से 528 वर्गमीटर कुल 1264 वर्गमीटर (जिसकी चाही भूमि की डी.एल.सी. दर 13,07,880/— रू. प्रति हैक्टेयर होने की फोटो प्रति संलग्न प्रेषित की है) भूमि रास्ते में जाने बाबत अवगत कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सुझाया गया रास्ता प्रार्थीगण की ओर से चाहे गये आवेदित रास्ते से लगने वाली भूमि 956 वर्गमीटर के बजाय 1264 वर्गमीटर भूमि उक्त रास्ते में लगती है जो कि उक्त रास्ते को काफी लम्बा होना दर्शित करती है तथा उक्त वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज हो। जिससे प्रार्थीगण की भूमियों में पहुंच का रास्ता हो। ऐसा भी वैकल्पिक रास्ता जो सुझाया गया है वह सिद्ध नहीं करता है। खसरा नम्बर 817 की नक्शा ट्रेस के मुताबिक गै.मु. आबादी भूमि होकर जिसमें से धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान वर्णित नहीं है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर की उक्त दोनों रिपोर्ट्स का अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर दिनांक 02.01.2018 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदकगणों की कृषि भूमियों में आवागमन हेतु पहुॅच का कोई रास्ता मौके पर नहीं होने पर कुल 956 वर्गमीटर भूमि को रास्ते के रूप में काम में आने बाबत अपनी

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट में अंकित किया गया है जबकि तहसीलदार श्रीमाधोपुर से दिनांक 28.06.2019 को प्राप्त दूसरी रिपोर्ट अनुसार कुल 1264 वर्गमीटर भूमि को रास्ते के रूप में लगने वाली भूमि बाबत अवगत कराया गया है। किन्तु फिर भी उक्त दर्शित रास्ता आवेदकगण की भूमियों की पहुँच का हो सके ऐसा अपनी रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के पास उनके द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी भूमियों में पहुँच का नहीं है। इसलिए आवेदकगण को आवेदित रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा उक्त आवेदित रास्ता के अलावा आवेदकगण की भूमियों के निकटतम व लघुत्तम कोई रास्ता लगने का अन्य कोई विकल्प नहीं है।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 02.01.2018 के संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है से सहमति व्यक्त करते हुए वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराया गया।

प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा भी दौराने प्रकरण की सुनवाई वकुलाय उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में पक्षकारान् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण से कई बार सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में आपसी समझाईस भी की गई है लेकिन अप्रार्थीगण ने किसी भी सूरत में प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत अपनी सहमती नहीं दी है तथा ना ही प्रार्थी के लिए वैकल्पिक या लघुत्तम रास्ता होने बाबत ही अवगत कराया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगणों के कृषि ज़ोत के लिए भी उपयुक्त होने से तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराने पर वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया [illegible] न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्रथम [illegible] अनुसार कुल 956 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा लिया जाना उचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 796, 827, 828 तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों में आवागमन हेतु कृषि भूमि खसरा नम्बर 792 में 350 वर्गमीटर, 796 में 250 वर्गमीटर, ख.न. 828 में 136 वर्गमीटर व ख.न. 827 में 220 वर्गमीटर कुल 956 वर्गमीटर भूमि तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2018 में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार कुल 956 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों पर दर्ज रहन हजफ किया जावे एंव शेष भूमियों की खातेदारी व रहन बदस्तूर जमाबन्दी रखा जावे। जिसमें रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर से अधिक न हो एंव इस हेतु प्रार्थीगण से कुल 956 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से जमा ली जाकर राज्यकोष में जमा ली जाकर राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खस[illegible] 822, 823 तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में आवागमन [illegible] की आत्यंतिक आवश्यकता होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट [illegible] 02.01.2018 में संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से प्र[illegible]त रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 792 में 350 वर्गमीटर, 796 में 250 वर्गमीटर, ख.न. 828 में 136 वर्गमीटर व ख.न. 827 में 220 वर्गमीटर कुल 956 वर्गमीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में कुल 956 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों पर दर्ज रहन हजफ किया जावे एंव शेष भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) रहन व खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। जिसमें रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर से अधिक न हो एंव इस हेतु प्रार्थीगण से कुल 956 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से जमा ली जाकर राज्यकोष में जमा की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। (चूंकि प्रकरण में डी0एल0सी0 दरें वर्ष 2018 व 2019 की प्रचलित दरें आई थी। इसके उपरान्त जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा दरे संशोधित हो जाने से वर्तमान वर्ष 2022 में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की प्रति उपलब्ध नहीं होने से गणना नहीं की जा सकी है) तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 02.01.2018 के सलंग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:17 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)